संख्या 22/43/82-का-2/2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

कार्मिक अनुभाग-2: लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2002

विषय:- राज्याधीन सेवा में श्रेणी क, ख, ग के सीधी भर्ती/पदोन्नति के आरक्षित वर्गों के बिना भरी रिक्तियों के बैकलाग को पूरा करने की कार्यवाही ।

महोदय,

आरक्षण अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुभूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 जारी किया गया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 488/2001 अखिल भारत वर्षीय छात्र एवं बेरोजगार फ्रंट बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा चुनौती दी गयी थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के हुए अन्तरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में लोक सेवाओं व पदों पर भर्ती/पदोन्नति तथा विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।

2. वर्तमान में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 दिनांक 6.6.2002 को तथा उ0प्र0 लोक सेवा (अनुभूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, दिनांक 25 जून, 2002 को प्रख्यापित कर दिया गया है जिससे लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आ रही विधिक कठिनाई समाप्त हो गयी है।

3. इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक है कि सीधी भर्ती में रोस्टर संबंधी अधिसूचना संख्या 4/1/2001-टी0सी0-का-2/2002 दिनांक 25.6.2002 तथा पदोन्नतियों में रोस्टर संबंधी शासनादेशसंख्या 4/1/2001-टी0सी0-का-2/2002, दिनांक 25 जून, 2002 को जारी कर दिया गया है ।

...2...

4. लोक सेवा और पदों में कतिपय कारणों से अब तक सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षित वर्ग की रिक्तियां बिना भरी रह गयी हैं । आरक्षित वर्ग की इन बिना भरी रिक्तियों में बेकलाग उत्पन्न हो गया है । चूँकि आरक्षण को पूरा करना शासन की विधिक बाध्यता है, अत: आवश्यक है कि आरक्षण वर्गों की सीधी भर्ती/पदोन्नति में बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरने के लिए सीधी भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) के अन्तर्गत की जाए ।

5. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि पदोन्नति/सीधी भर्ती के आरक्षित वर्ग के ऐसे पद जिनको पूर्व में किसी कारण से [illegible] अनारक्षित (डि-रिजर्व) कर दिया गया था, उनको पुन: आरक्षित कर दिया जाए ।

6. सीधी भर्ती/पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा न किए जाने के कारणों की समीक्षा कर ली जाए और यह चिन्हित किया जाए कि इनके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ।

7. पदोन्नति कोटे के पदों को भरने के लिए विभागीय चयन समितियों की समय-सारिणी तैयार करा ली जाए तथा बैकलाग की रिक्तियों को भरने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा में बैकलाग तीन माह में पूर्ण कर लिया जाए ।

8. समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती के लिए उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2002 दिनांक 29 जून, 2002 को जारी कर दी गयी है जिसमें समूह "ग" की भर्ती के लिए समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है ।

9. उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 जो दिनांक 25 जून, 2002 को प्रख्यापित किया गया है, के द्वारा आरक्षण की गणना रिक्तियों के बजाए कुल संवर्ग पर करने की व्यवस्था की गई है । आरक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला रोस्टर तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाए और कोटा पूरा होने की दशा में रोस्टर निष्प्रभावी हो जायेगा ।

10. आरक्षित वर्गों की रिक्तियां जो बिना भरी रह गयी हैं, उन्हें "वर्ग विशेष" की रिक्तियां माना जाएगा और इनको भरने के लिए 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी ।

11. रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में निश्चित दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या 22/16-92-टी0सी0-III(का-2/2002, दिनांक 03.07.2002 द्वारा जारी कर दिए गये हैं ।

12. मुझसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती/पदोन्नति में बैकलाग को भरने के लिए उक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
ह0/-
राजेन्द्र भौनवाल
प्रमुख सचिव

प्रमाणित
3-7-02
(पी0एन0 यादव)
संयुक्त सचिव
कार्मिक विभाग
उ0प्र0 शासन ।